रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-576/2023/3030/22-2-2023-17(145)/2011
लखनऊ: दिनांक: 14 सितम्बर, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रमोद (बन्दी संख्या-16648) पुत्र श्री रिसाल सिंह, निवासी ग्राम-भैंसवाल, थाना-गढ़ीपुख्ता, जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जनपद-शामली, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-390/1992 में भा0द0वि0 की धारा- 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 09.11.1994 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-18-12-1995 द्वारा अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 23.11.2020 तक 23 वर्ष 11 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 44 वर्ष 08 माह 03 दिन की भोगी गयी सपरिहार सजा एवं जेल आचरण अच्छा होने के दृष्टिगत नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-576/2023/3030(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर/शामली।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर/शामली।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।